

फद अहकाम

(नियम 13)

(General Rules (Civil) Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत तहसीलदार, सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी




बनाम शुभाशम वल्ल केलराम काक

मेहरे की दावा

वाट शा. मेहरे की दावा

किस्म गुकदमा - राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91
रान्

मु.न. 36/2020

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|--|--|
| 12-10-2020 | <p>पटवारी हल्का मेहरे की दावा ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2077 में मौजा मेहरे की दावा के खसरा संख्या 205 रकबा 0.0640 बीघा किस्म भूमि आमु राता पर नाजायज अतिक्रमण कर कब्जा किया है। अतः राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 22-10-2020 को बमुकाम सिणधरी पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर </p> | |
| 22-10-2020 | <p>पत्रावली आठ पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। गैर सायल के एक अक्सर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 28-10-2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर </p> | <p style="text-align: center;">  नि. शुभाशम </p> |

28.10.2020

पत्रावली आज पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित
गैर सायल को अतिक्रमी मानते हुए स्कूल का
कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली केसल
सुमार है। निर्णय अलग से लिखा जाकर
शामिल पत्रावली है। निर्णय खुले न्यायालय
में सुनाया गया। पत्रावली केसल सुमार लेकर
दफ्तर दाखिल है।

P. S.
बहसील नगर सिणधरी
जिला-बाड़मेर